सर्वोच्च प्राथमिकता (अनुस्मारक पत्र)/ अन्तिम अवसर

पत्र सं0-स्था-5(ख)/तदर्थ नियुक्ति/मौलिक नियुक्ति सत्यापन-2018-19// 4786 //वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 07 जनवरी, ~~2018~~ 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(मुरादाबाद, प्रयागराज व अयोध्या को छोड़कर)

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-4466 दिनांक 22-12-2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र दिनांक 04-11-2018 के निर्देशानुपालन में 03 बिन्दुओं द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से जारी की गयी लिपिक वर्गीय ज्येष्ठता सूची का अवलोकन कर अपने जोन में (कार्यरत / सेवानिवृत्त / वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत) समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि उनके सेवाभिलेख में प्रविष्ट मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नहीं है का सत्यापन करते हुए यदि किसी कार्मिक के सेवाभिलेख में ज्येष्ठता सूची में अंकित मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नियुक्ति की तिथि प्रमाणित हो रही है अथवा किसी कार्मिक को पूर्व में की गयी तदर्थ / स्थानापन्न नियुक्ति को विनियमित किया गया है तो सम्बन्धित आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ भी दिनांक 27-12-2018 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में मुरादाबाद, प्रयागराज व अयोध्या जोन के स्तर से ही वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी है। शेष जोनल कार्यालयों से मुख्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 22-12-2018 के बिन्दु संख्या-01 व 02 में वांछित सूचना /सत्यापन प्रमाण पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नहीं किया गया हैं।

अत: निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र दिनांक 22-12-2018 में दिये गये निर्देशानुसार अपेक्षित सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर **वांछित सत्यापन प्रमाण पत्र** अथवा **यदि किसी कार्मिक के सेवा अभिलेखों में ज्येष्ठता सूची में अंकित की गयी मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नियुक्ति की तिथि प्रमाणित हो रही है / किसी कार्मिक को पूर्व में की गयी तदर्थ/स्थानापन्न नियुक्ति को विनियमित किया गया है, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ** प्रत्येक दशा में विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 14-01-2019 की सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

उपरोक्त **सत्यापन प्रमाण-पत्र / सूचना दिनांक 14-01-2019 तक मुख्यालय** को भिजवाये जाने हेतु अन्तिम रुप से तिथि निर्धारित की गयी है। यदि इस तिथि तक आप द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र / सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो अनावश्यक विलम्ब के लिए **उत्तरदायी अधिकारी को आप कृपया अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि वह अपने अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्मिकों के सम्बन्ध वांछित प्रमाण पत्र / सूचना सहित प्रत्येक दशा में दिनांक 16-01-2019 के मध्यान्ह 12:00 बजे तक अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में वह स्वयं उपस्थित हो।**

ह0/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :-उक्त।

प्रतिलिपि:-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

2- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशा0) / असिस्टेंट कमिश्नर(ए) वाणिज्य कर (मुरादाबाद, प्रयागराज व अयोध्या जोन के अधिकारियों को छोड़कर)तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

7-1-19

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

Ded(IT)

08/1/19